49

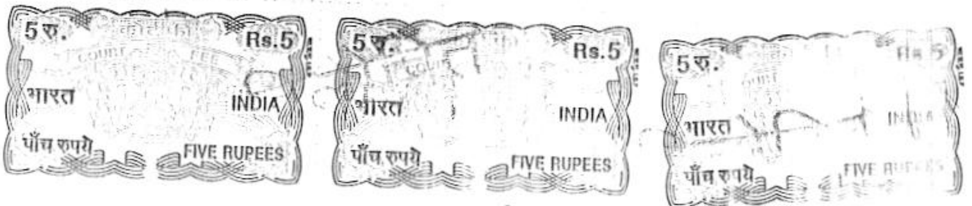

निगरानी 761-III-15

न्यायालयः— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रक /2015 निगरानी

1. चैनसिंह } पुत्रगण
2. बृजेश सिंह } श्री मनीराम यादव निवासीगण ग्राम रामगढ़ तह. बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

—— आवेदकगण

क्र. 851 पी. 541 63 15 द्वारा आज दि. 10-4-15 को प्रस्तुत 10-4-15

विरूद्ध

1. राजेश सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह यादव
2. राहुल पुत्र राजेश सिंह यादव निवासीगण ग्राम खतौरा तह. बदरवास जिला शिवपुरी म.प्र.

—— अनावेदकगण

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959न्याायालय अनु.वि.अधि. कोलारस जिला शिवपुरी के प्र.क.03/अ–70/14–15 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2015 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।</u>

10-4-15

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :—

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः—</u>

1. यह कि, विवादित भूमि ग्राम रामगढ़ तहसील बदरवास जिला शिवपुरी के सर्वे कं. 1251,1253 रकवा 3.95 हें., में से 0.50 हे., के संबंध मे अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अधीनस्थ न्यायालय नायव तह. बदरवास जिला शिवपुरी के समक्ष एक आवदेन पत्र दिनांक 03.09.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया जिसका प्रकरण क 03/अ–70/14–15 पर दर्ज किया जाकर आदेश दिंनाक 10.10.2014 से आवेदक को वेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त प्रकरण को अनु.वि.अधि. कोलारस जिला शिवपुरी के समक्ष भेजा गया कि आवेदकगण का उक्त भूमि पर अवैध कब्जा है। उक्त कब्जे को हटाया जाये तथा अर्थ दण्ड भी आरोपित किया जावे साथ ही सिविल जैल की कार्यवाही 6 माह के लिये की जावे। उक्त आधार पर आवेदक के विरूद्ध दिंनाक 04.04.2015 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका विधिवत जबाब दिंनाक 07.04.2015 को प्रस्तुत किया जाकर उक्त जबाब में इस बात का उल्लेख किया गया कि आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 250 की कार्यवाही किसी राजनैतिक दबाब के कारण की गई है। इस कारण उक्त भूमि का सीमांकन आवेदक के समक्ष कराया जावे परन्तु अधि. न्यायालय द्वारा उक्त जबाब को नजर अन्दाज कर दिया गया। प्रकरण को अंतिम आदेश के लिये सुरक्षित रख लिया गया है। उक्त आदेश से दुखित होकर निगरानी निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत है :—

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./761/तीन/2015 जिला शिवपुरी

चैनसिंह आदि विरूद्ध राजेशसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 03/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 04/04/2015 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 17/6/19 सदस्य	